रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/92 REGISTERED NO. D—(DN)—128/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1992 (पौष 14, 1913)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1992 (PAUSA 14, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

औद्योगिक और वित्तीय ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400023, दिनांक 16 दिसम्बर 1991

अनुबन्ध 'ए'

सं० सी०सी० एण्ड एम०आई० एस० 615/87-सी०-91/92—अधिसूचना औनिऋवि/3/87 (सीपी)-90/91 दिनांक 30 मई, 1991 के भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड 4 सं० 33 दिनांक 17-8-1991 में प्रकाशित हिन्दी पाठ में पायी गई मुद्रण की त्रुटियां :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	पैरा	अनुसूची	त्रुटि (जिस रूप में प्रकाशित है)	सुधार (जिस रूप में प्रकाशित होना चाहिए)
1	2	3	4	5	6
1.	2685	पता	—	बम्बई-400 013	बम्बई-400 023
2.	2685	1 पंक्ति 5	—	रिजर्व	रिजर्व
3.	2685	1 पंक्ति 5	—	आशवस्त	आश्वस्त
4.	2685	1 (1) पंक्ति 2	—	अपेक्षाओ''	अपेक्षाओं''

1	2	3	4	5	6
5.	2686	1. 7 (i) पंक्ति 4	—	रिजर्व	रिज़र्व
6.	2686	1. 7 (i) पंक्ति 6	—	पूजी	पूंजी
7.	2686	1 पंक्ति 1	II	रिजर्व	रिज़र्व
8.	2686	1	—	रिजर्व के विनियम 11 दिसम्बर 1989 को द्वारा जारी	रिज़र्व के द्वारा विनियम 11 दिसम्बर 1989 को जारी
9.	2687	1 (iii) पंक्ति 2	II	नियंत्रड्.	नियंत्रक
10.	2687	1 (viii) पंक्ति 4	II	रिजर्व	रिज़र्व

श्रीमती सु० वे० पाटणकर,
उप मुख्य अधिकारी

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली–110002, दिनांक 26 दिसम्बर 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 54–ई० एल० (1)/15/91—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम 1988 के विनियम 123 की व्यवस्थाओं के अनुसार, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डिया के सदस्यों के नाम, जिन्हें कि इंस्टीट्यूट की पन्द्रहवीं परिषद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है, एतद्द्वारा आम सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमन व दीव एवं दादर व नागर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र शामिल है ।

1. श्री छाजेड, सोहनराज पुखराजजी
2. श्री चितले, मुकुन्द मनोहर
3. श्री दोषी, गौतम भाईलाल
4. श्री अय्यर, वैद्यीस्वरन नटेसन
5. श्री काले, यशोधन मधुसूदन
6. श्री शारदा, नरेन्द्रा पनसुखलाल
7. श्री शाह, अश्विनी कुमार चन्दुलाल
8. श्री विकमसी, शिवजी कुंवरजी

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षदीप समूह के केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं ।

1. श्री कोटेश्वरा राव, एस० एस० आर०
2. श्री लक्ष्मी निवास शर्मा
3. श्री राव, बी० पी०
4. श्री सीथारमन, जी०
5. श्री सुन्दरराजन, नल्लन चक्रावर्ती
6. श्री उपाध्याया, पी० पी० गुरूराजा

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि असम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य और अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह केन्द्र शासित शामिल हैं ।

1. श्री अग्रवाल, रामकृष्णा
2. श्री चक्रावर्ती, अमल कुमार
3. श्री चटर्जी, दीपांकर

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल है ।

1. श्री भंडारी, डा० धर्मेन्द्रा
2. श्री बिराला, चौथ मल
3. श्री गुप्ता, नृपेन्द्रा कुमार

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब राज्य तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

1. गुप्ता, एन० डी०
2. श्री मेहता, कर्णा सिंह
3. श्री वासुदेवा, सुभाष चन्दर
4. श्री विश्वानाथ, टी० एस०

सं० 54–ई० एल० (1)/16/88—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 123 तथा विनियम 134(10) की व्यवस्थाओं के अनुसार, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इण्डया की परिषद को, इंस्टीट्यूट के उन सदस्यों के नामों की घोषणा करने में सहर्ष है जिसमें इंस्टीट्यूट की अनेक क्षेत्रीय परिषदों के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है ।

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद

(गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमन व द्वीप और दादर व नागर हवेली संघीय क्षेत्र ।

1. श्री अदुकिया राजकुमार सत्यानारायन
2. श्री बार्वे, शशिकांत वासुदेव

3. श्री [illegible] नीलेश हरदास
4. श्री [illegible] अशोक कुमार किशन गोपालजी
5. श्री [illegible] कुमार
6. श्री दानी, अनि शंकरराव
7. श्रीमती दोषी, भावना गौतम
8. श्री जैन, कैलाश चन्द
9. श्री जैन, वर्धमान लक्ष्मीचन्द
10. श्री जोशी प्रदीप दिनकर
11. श्री कोठारे, सुनिल सुधाकर
12. श्री मोतीवाला, हरीश नरेन्द्रा
13. श्री शाह, अजित कुमार चन्दुलाल
14. श्री शाह, दिलिप कुमार बाबीलाल
15. श्री शाह, राजेश विरेन्द्रा
16. श्री व्यास सत्येन्द्रा प्रमोदराय

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद

(आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप समूह संघीय क्षेत्र)

1. श्री अर्जुनाराज, ए०
2. श्री गदग ओमकार विरूपाक्षप्पा
3. श्री गोपालाकृष्णन पी० एस०
4. श्री जोसेफ, एम० सी०
5. श्री कृष्णम, वी०
6. श्री मुरलीकृष्णा, सी०
7. नागाराजन, आर०
8. श्री नित्यानन्दा, एन०
9. श्रीमती प्रियाभंसाली
10. श्री रवि, के०
11. श्री रविन्द्रा, विक्रम, एम०
12. श्री सुब्बा राव गर्रे

पूर्वी भारत क्षेत्र परिषद

(असम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य तथा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह संघीय क्षेत्र)

1. श्री दास, अमरेन्द्रा नाथ
2. श्री दोकानिया, गोपालप्रसाद
3. श्री गुप्ता, हरी राम
4. श्री पोद्दार, करूणा संकर
5. श्री रोय, राहुल
6. श्री सेनगुप्ता, तपन कांति

मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद

(उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य)

1. श्री भंडारी, रमेश चन्द
2. श्री भारगवा, एस० के०
3. श्री जैन, राजेश कुमार
4. श्री जैन, विजय कान्त
5. श्री मेहरोत्रा, अविनाश

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद

(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर और पंजाब और राज्य तथा दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र)

1. श्री अग्रवाल, एम० के०
2. श्री अनिल पेशावरी
3. श्री अश्वजीत सिंह
4. श्री बत्रा अमृत लाल
5. श्री धमीजा, जगदीश प्रसाद
6. श्री दूगर, रमेश
7. श्री गुप्ता कैलाश नाथ
8. श्री गुप्ता रतन
9. श्री सोमानी अशोक कुमार

ए० के० मजुमदार,
सचिव

कानपुर-208001, दिनांक 20 नवम्बर 1991

सं० 3-सी० सी०ए० (5)/(7)/ 91-92— इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3 एस० सी० ए० (4)/10/ 86-87, दिनांक 27-2-87, 3-ई० सी० ए० (4)/ 6/ 88-89 दिनांक 24-2-89 3-सी० सी० ए० (4)/ 7/ 90-91, दिनांक 30-11-90 एवं 3 सी० सी० ए० (4)/ 12/ 90-91, दिनांक 15-2-91, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 धारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	11059	श्री जयनारायन गोयल, एफ०सी०ए०, सी०-162, रंजीत नगर, अपोजिट जैन मंदिर, भरतपुर-321001	02-08-91

1	2	3	4
2.	12733	श्री एम०ए० कृष्णमूर्ति, एफ०सी०ए०, मौर्या लोक काम्प्लेक्स, ब्लाक सी० तृतीय मंजिल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना–800001	17–09–91
3.	16426	श्री अमितकुमार पाल, ए०सी०ए०, सी०एम०पी०डी०आई० लि०, कानके रोड, रांची	18–09–91
4.	70775	श्री राजेन्द्र प्रसाद परवाल, एफ०सी०ए०, सी०–39, लाजपत मार्ग, सी०–स्कीम, जयपुर	23–09–91

दिनांक 26 नवम्बर 1991

सं० 3–सी० सी० ए० (4)/ (4)/ 91–92––चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमो प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्य का नाम उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	10973	श्री कैलाशनरायन वर्मा, अपोजिट हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, फैजाबाद रोड, लखनऊ–226016	08–10–91

ए० के० मजूमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली दिनांक 27 नवम्बर 1991

सं० एन–15/ 13/ 6/ 2/ 91– यो० एवं वि० (2)––कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम–1950) के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा –46 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16–11–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात

"मालापुरम जिले में इरनाडु तालुक के वजहायूर राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

दिनांक 03 दिसम्बर 1991

सं० एन–15/ 13/ 1/ 17/86– यो० एवं वि० (2)––कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम–1950) के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा –46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–12–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे।

अर्थात

"मेडक जिले के पाटनछेरू राजस्व मंडल में राजस्व ग्राम पाटीघानापुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

सं० एन–15/13/ 1/ 7/ 87– यो० एवं वि० (2)––कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम–1950) के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा –46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–12–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चत की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू लिए जायेंगे।

अर्थात

मेडक जिले के जिन्नाराम मंडल में राजस्व ग्राम अन्नाराम, डोमाडुगु, बोंथापल्ली, गुम्माडिडाला, चेतला पोथरम, गडडा–पोथरम, किस्तायापल्ली, गोगिलापुर, अंनथाराम तथा कानू–कुंटा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

सं० एन–15/ 13/ 1/ 1/ 89– यो० एवं वि०––(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम– 1950) के विनियम 95–क के साथ पठित कार्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा –46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1–12–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा आंध्र–प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम– 1955 में निर्दिष्ट

रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/92 REGISTERED NO. D—(DN)—128/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1992 (पौष 14, 1913)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1992 (PAUSA 14, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400023, दिनांक 16 दिसम्बर 1991

अनुबन्ध 'ए'

सं० सी०सी० एण्ड एम०आई० एस० 615/87-सी०-91/92—अधिसूचना औनिऋवि/3/87 (सीपी)-90/91 दिनांक 30 मई, 1991 के भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड 4 सं० 33 दिनांक 17-8-1991 में प्रकाशित हिन्दी पाठ में पायी गई मुद्रण की त्रुटियां :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	पैरा	अनुसूची	त्रुटि (जिस रूप में प्रकाशित है)	सुधार (जिस रूप में प्रकाशित होना चाहिए)
1	2	3	4	5	6
1.	2685	पता	—	बम्बई-400 013	बम्बई-400 023
2.	2685	1 पंक्ति 5	—	रिजर्व	रिज़र्व
3.	2685	1 पंक्ति 5	—	आशवस्त	आश्वस्त
4.	2685	1 (1) पंक्ति 2	—	अपेक्षाओ"	अपेक्षाओं"

(2) श्री के. सुन्दरम्,
35, दूसरा मुख्य मार्ग,
गांधीनगर, अड्यार,
मद्रास-600 020

एच. आर. कामत, प्रबंध निदेशक
[A|III|(IV)|Exty)|23|91]

STATE BANK OF MYSORE

(Associate of the State Bank of India)

NOTICE

Bangalore, the 12th December, 1991

No. SHARES|36|91.—Further to our notice of 23rd October, 1991 and in pursuance of Regulation 34 of the Subsidiary Banks General Regulations, the following persons have been declared elected as Directors on the Board of the State Bank of Mysore, under Section 25(1)(d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

1. Shri R. Umachander,
No. 28, Krishnarajendra Road,
Basavanagudi.
Bangalore—560 004.

2. Shri K. Sundaram,
35, Second Main Road,
Gandhinagar, Adayar,
Madras—600 020.

H. R. KAMATH, Managing Director.
[A|III|IV|Exty)|23|91]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 1992/माघ 9, 1913
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1992/MAGHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय आवास बैंक

(स्वैच्छिक निक्षेप स्कीम, 1991)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1992

फा. सं. 7(42)/91-सीपी (भाग).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III—खण्ड 4, सं. 40, दिनांक 27 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित।

अविष्टि	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
पैरा 2 (ख)		आभप्रेत	अभिप्रेत
" (ग)		जम	जमा
" (घ)	4	कनाडा	केनरा
" 9 (1)	1	निर्यात	निक्षेपकर्ता
" 11 (3)	2	न	—
" 14	अन्त में	—	ह./- एस. पी. घोष, महाप्रबंधक एवं सचिव राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली
प्रपत्र क	—	आवेदक निक्षेपकर्ता	आवेदक/निक्षेपकर्ता

एस. पी. घोष, महाप्रबन्धक एवं सचिव

NATIONAL HOUSING BANK

(Voluntary Deposits Scheme-1991)

CORRIGENDA

New Delhi, the 29th January, 1992

F. No. 7(42)/91-CP(Part) .—As Published in the Gazette of India, Extraordinary Part III-Section 4, No. 40, dated September, 27, 1991.

Page No.	In	Line	For	Read
8	Para 2(d)	6	deposit	deposits
8	Para 3(4)	3	made the	made, the
8	Para 5	Heading	ciredit	credit
8	Para 6	1	Husing	Housing
8	Para 6	1	Special and fund	Special Fund.
9	Para 11(2)	2	person	persons
9	Para 11(4)	1	a r d	and
9.	Seal of National Housing Bank.		National Housing Board.	National Housing Bank.
11.	Form 'C'	2	National Housing Bank Scheme.	National Housing Bank (Voluntary Deposits) Scheme.

S.P. GHOSH, Gen. Manager and Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992

चिकित्सा हितलाभ आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात

"चित्तूर जिले के नागरी मंडल में वीराकावेरी राजूपुरम, कीलापटटू नटटम कंद्रीगा, नागरी, टी०आर० कंद्रीगा, एस० आर० एन० अग्राहरम (श्री रंगानगर) वेलावडी, 104, अग्राम, गुन्नुराजुकुप्पम, सथरावाड़ा और तारनी राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र" ।

सं० एन–15/ 13/ 7/ 4/ 89– यो० एवं वि० (2)––कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम– 1950) के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा –46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16–11–91 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है, जिससे उक्त विनियम 95–क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे ।

अर्थात

राजस्व ग्राम या नगर पालिका सीमा	होबली	तालुक	जिला
केमिजे-ग्राम पुत्तूर–टी०एम०सी० शांति गोंदू	पुत्तूर	पुत्तूर	दक्षिण–कर्नाटक
बन्नूर गांव चिक्कामुडनूर गांव कोडियमबादी मंडल कावक्का	उर्प्पालगादी	पुत्तूर	दक्षिण–कर्नाटक

दिनांक 13 दिसम्बर 1991

सं० –एक्स–11/ 14/ 3/ 90– यो० एवं वि०––कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी अधिसूचना सं० एक्स–11/ 14/ 2/ 89––यो० एवं वि०, दिनांक 6–11–89 जो भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड–4, दिनांक 18–11–89 में प्रकाशित हुई है, द्वारा यह अधिसूचित किया था कि उस अधिसूचना द्वारा काजू उद्योग के कामगारों के लिए पात्रता की शर्तों, अवधि तथा हितलाभों की दरों में जो संशोधन किए गए थे वे प्रवृत्त होने की तिथि यानि 1–10–1989 से एक वर्ष की अवधि के बाद पुनरीक्षण की शर्तें के अधीन होंगे ।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी अधिसूचना संख्या–एक्स– 11/14/ 3/ 90 यो० एवं वि०, दिनांक 25–2–1991 द्वारा जो भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड 4 दिनांक 16 मार्च, 1991 में प्रकाशित हुई है द्वारा पुनरीक्षण की अवधि को 1–10–90 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया था ।

3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दिनांक 8–10–91 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर पुनः विचार किया और पुनरीक्षण की अवधि को 1–10–91 से 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है ।

एस० घोष
संयुक्त बीमा आयुक्त

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 13 दिसम्बर 1991

सं० एफ० पी० आई० (149) 91/ 1995––– जहां मैसर्स एच० ए० एल० हैदराबाद, हैदराबाद–500042 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1–सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री बी० जी०के० मूर्ति कोड सं० ए० पी०/ 2675 के संबंध में आवेदन भेजा है ।

चूंकि मै० ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० एस० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जो कि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल हैं ।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1–सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जो कि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी० सी० एस० पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने की तिथि से से या नौकरी की अन्तिम तिथि, से उन कर्मचारियों का संबंध में जो सरकार के 22–1–90 के आदेश के अनुसरण में 22–1–90 से 21–7–90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत्त हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं ।

1. ये कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

3. उक्त प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने की वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1994—जहां मैसर्स जगतजीत काटन टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, यूनिट श्री गंगानगर, श्री गंगानगर-335001 (आर. जे./20) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या : एस. 35014/9/83-पी. एफ. 2 (एस. एस. 1) दिनांक 7-2-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 12-2-89 से 11-2-92 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 11-2-92 भी शामिल है ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

दिनांक 16 दिसम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1999—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम को अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के परिप्रेक्ष्य में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

गुजरात

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा छूट दी गई/बढ़ाई गई	पिछली छूट की समाप्ति की तिथि	छूट की आगे बढ़ाने की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
(1)	मै० दा अहमदाबाद एडवांस मिल्स लि०, आऊट साईड दिल्ली गेट, अहमदाबाद—380001	जी०जे०/336	2/1959/डीएलआई/एक्जाम/89/1185/पार्ट—1, दिनांक 18—7—91	28—2—91	1—3—91 से 28—2—94	2/3677/91—डी० एल० आई०
(2)	मै० श्री चलथाम, विभाग खण्ड, उद्योग सहकारी मण्डी लि०, पोस्ट चलथाम पी० सी० 394305 डिस्ट्रिक्ट सूरत, गुजरात	जी० जे०/5335	2/1959/डी०एल०आई०/एक्जाम/89/1363/पार्ट—1, दिनांक 16—8—91	28—2—91	1—3—91 से 28—2—94	2/3747/91—डी० एल०आई०

अनुसूची ।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के निधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख को भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या निधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/2005—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-I में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

गुजरात :

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा छूट दी गई/बढ़ाई गई	पिछली छूट की समाप्ति की तिथि	छूट को आगे बढ़ाने की अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० गुजरात साईन इन्टर—प्राइजिज (प्रा०) लि०, 18—टी०, विक्रम, आश्रम रोड, अहमदाबाद	जी० जी०/2070	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जाम/89/पार्ट—1/1185, दिनांक 18—7—91	28—2—91	1—3—91 से 28—2—94	2/3600/91/
2.	मै० जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, न्यू कैलीपीचा, टैलिया मिल कम्पाउण्ड, अहमदाबाद	जी० जे०/3775	एस—35014/(142)/86 एसएस—II, दिनांक 31—3—86	30—3—89	1—4—89 से 30—3—92	2/405/89/
3.	मै० स्पन डायोगनस्ट्रीक (प्रा०) लि० 173—बी, न्यू इण्डस्ट्रीयल स्टेट, रोड नं० 6, जी उद्योग नगर, उधना—394210, डिस्ट्रिक्ट सूरत	जी० जे०/9709	एस—35014/(107)/88/एसएस—II दिनांक 1—9—88	31—8—91	1—9—91 से 31—8—94	2/179/88/डी०एल०आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) । सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 17 दिसम्बर 1991

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/2011—जहां मैसर्स असन्त आई.डी.एल. लि. क्रीसेन्ट टावर्स 32/1-2, क्रीसेन्ट रोड पो. बा./5039 कोड सं. के. एन./241 बंगलौर ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या : एस. 35014/112/84/एस. एस. 4 दिनांक 23-10-84 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जो दिनांक 23-10-87 से 22-10-90 तथा 23-10-90 से 22-10-93 तक लागू होगी जिसमें यह तिथि 22-10-93 भी शामिल है ।

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 31 अक्तूबर 1991

सं० 26-10/89-पी० सी० आई०—फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 8 के साथ पठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय फार्मेसी परिषद् केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से भारतीय फार्मेसी परिषद् के कर्मचारियों हेतु सामूहिक बचत बीमा का विनियमन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय फार्मेसी परिषद् कर्मचारी सामूहिक बचत बीमा नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :— यदि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित नहीं है तो,

(क) इन नियमों के संबंध में वार्षिक नवीकरण की तिथि 18-6-91 और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के 18 जून होगी । दिन और

(ख) "बीमा" का अर्थ है वह बीमा जो सदस्य के जीवन पर लागू होगा ।

(ग) सदस्य के संबंध में "लाभार्थी" का अर्थ है वह/वे व्यक्ति जिसे/जिन्हें बीमा कराते समय, इन विनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा, अपनी मृत्यु के समय लाभ प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

(घ) "निगम" का अर्थ है भारतीय जीवन बीमा निगम,

(ङ) "नियोक्ता" का अर्थ है भारतीय फार्मेसी परिषद्,

(च) "प्रवेश तारीख" का अर्थ है इसके प्रारंभ होने की तारीख को सामूहिक बीमा में आने वाले सदस्यों के संबंध में (क) की प्रारम्भिक तारीख और (ख) प्रारम्भिक तारीख के पश्चात् सामूहिक बीमा करवाने वाले नए सदस्यों के संबंध में वार्षिक नवीनीकरण की तारीख जो कि उनके पात्र होने की तारीख या उसके तत्काल पश्चात् की तारीख है ।

(छ) "सदस्य" का अर्थ है नियोक्ता का वह कर्मचारी जिसे कि विनियमों के अन्तर्गत ये लाभ दिए गए हैं ।

(ज) "अन्तिम तारीख" का अर्थ है प्रत्येक सदस्य के संबंध में वार्षिक नवीकरण की तारीख जो वह तारीख अथवा उसके अगली तारीख होती है जब सदस्य सामान्य सेवा-निवर्तन की आयु अथवा सेवा समाप्ति की आयु, जो भी पहले हो, प्राप्त कर लेता है । यदि 58 और 60 वर्ष की आयु के पश्चात् सदस्य की सेवा को बढ़ाया जाता है अथवा समूह "क", "ख", "ग" और "घ" तथा वैज्ञानिक व, तकनीकी कार्मिकों के संबंध में अन्तिम तारीख का अर्थ होगा सेवा समाप्ति की तारीख या वार्षिक नवीकरण की तारीख जो कि सदस्य द्वारा 60 या 62 वर्ष की आयु पूरी करने की तारीख या उसके तत्काल पश्चात् की तारीख है, जो जो भी पहले हो । आगे यह भी प्रावधान है कि चूंकि समूह "घ" और वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों की अधिवर्षितावय 60 वर्ष है, इसलिए सामूहिक बीमा 60 वर्ष की आयु तक भी प्रभावी होगा ।

(झ) "चालू खाता" का अर्थ है निगम द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में रखा गया वह खाता जिसमें सदस्यों के संबंध में जीवन बीमा लाभ प्रदान करने हेतु अपेक्षित अंश के समुपयोजन के बाद बचे हुए प्रीमियम को जमा किया जायेगा ।

3. इन विनियमों से संबंधित मामलों में नियोक्ता सदस्यों के लिए और उन्हीं के पक्ष में कार्य करेगा और निगम द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निगम के साथ किया समझौता तथा निगम को दिया गया नोटिस सदस्यों पर बाध्यकारी होगा ।

4. पात्रता :

(1) वे नियमित कर्मचारी सामूहिक बीमा के लिए पात्र होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और 58 वर्ष या 60, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक नहीं है ।

(2) उपर्युक्त श्रेणी के मौजूदा कर्मचारी इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से सामूहिक बीमा का लाभ उठा सकते हैं ।

(3) सेवा की यह शर्त होगी कि वर्तमान के उन कर्मचारियों के लिए जो उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आते और भविष्य में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि जैसे ही वे पात्रता की शर्तों को पूरा करें, वे संबंधित "प्रवेश तारीख" को सामूहिक बीमा में शामिल हों ।

(4) कोई भी सदस्य उस समय तक सामूहिक बीमा से अपना नाम वापिस नहीं लेगा जब तक वह ऊपर उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला पात्र कर्मचारी है ।

5. आयु का प्रमाण : नियोक्ता सामूहिक बीमा में प्रवेश पाने के समय के प्रत्येक सदस्य के संबंध में आयु का संतोषप्रद प्रमाण प्राप्त करेगा ।

6. स्वास्थ्य का प्रमाण : प्रत्येक सदस्य के संबंध में सामूहिक बीमा करवाने से पहले निगम द्वारा अपेक्षित रूप और तरीके से बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

7. अंशदान :

(1) प्रत्येक सदस्य अपनी श्रेणी के अनुसार नीचे दिखाई गई दरों पर मासिक अंशदान का भुगतान करेगा :—

श्रेणी	मासिक अंशदान
क— ख—	30 रुपये
ग— घ—	15 रुपये

यह अंशदान प्रवेश की तारीख से प्रारंभ होकर अन्तिम तारीख तक अथवा विनियमों के विनिर्देशानुसार जारी रहेगा ।

(2) नियोक्ता सभी सदस्यों के संबंध में उनके वेतन से अंशदान की वसूली करेगा और विनियमों के अनुसार लाभ प्रदान करने के लिए उसकी पूरी राशि देय तारीख अर्थात् प्रत्येक महीने की 18 तारीख को निगम में भेज देगा ।

(3) निगम द्वारा हर तीन वर्ष के अन्तराल पर अंशदान के नियत किए गए हिस्से को जिसे सभी सदस्यों के आयु-वितरण के आधार पर निश्चित किया गया हो और जिसे प्रत्येक सदस्य की समान औसत राशि के रूप में व्यक्त किया गया हो विनियम 8 में बताए गए अनुसार प्रत्येक की जीवन बीमा लाभ प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

जीवन बीमा लाभों का भुगतान विनियमों के अन्तर्गत बीमा हुए सदस्य की मृत्यु के समय किया जा सकेगा । इस प्रयोजन हेतु नियोक्ता निगम के साथ एक वर्ष की नवीकरण अवधि की बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा शुरू करेगा । अंशदान की बची हुई राशि निगम द्वारा बनाए गए चालू खाते में

नियोक्ता के पक्ष में जमा कर ली जाएगी ताकि विनियम 8 में दिए गए लाभ सदस्यों को दिए जा सकें। निगम मान्य दरों पर चालू खाते में जमा शेष पर ब्याज देगा।

8. लाभ

(1) अन्तिम तारीख से पहले सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा लाभ लाभार्थी को श्रेणीवार अर्थात् श्रेणी क, ख, ग और घ के लिए क्रमशः 30,000, 30,000, 15,000 और 15,000 विनियम 8 (2) में बताए गए तरीके से निर्धारित किए अनुसार उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में जमा रकम के साथ देय होगा।

(2) सेवा की अन्तिम तारीख तक पहुंचने पर अथवा मृत्यु के सिवाय अन्य किसी कारण से समय पूर्व सेवा समाप्त हो जाने पर

प्रवेश तारीख, समय-समय पर चालू खाते में जमा की गई राशि ब्याज की दर और मूल की तारीख के अनुसार निगम द्वारा निर्धारित की गई सदस्य के खाते में जमा कुल धन-राशि सदस्य को अदा की जायेगी।

8.क. जीवन बीमा लाभों में संशोधन

श्रेणी में परिवर्तन होने के कारण प्रत्येक सदस्य के संबंध में जीवन बीमा की राशि में संशोधन श्रेणी परिवर्तन के तत्काल पश्चात् की "वार्षिक वीकरण तारीख" को ही किया जाएगा।

9. सदस्यता की समाप्ति

(1) किसी भी सदस्य की सामूहिक बीमा की सदस्यता निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति के होने पर समाप्तज हो एगी :-

(क) यदि सदस्य उस नियोक्ता की सेवा में न र् ।

(ख) सदस्य अन्तिम तारीख तक पहुंच जाए।

(2) सदस्यता समाप्त होते ही. सदस्य के जीवन बीमा लाभ समाप्त कर दिए जायेंगे और विनियम 8 (2) द्वारा निर्धारित की गई सदस्य के चालू खाते में जमा राशि उसे देय होगी।

10. प्रत्याशी अथवा विहलंगम पर प्रतिबंध

सामूहिक बीमा के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ पूर्णतया व्यक्तिगत है और ये किसी प्रकार समनुदिष्ट, भारित अथवा संक्रांत नहीं किए जा सकते।

11. मास्टर पालिसी

निगम नियोक्ता के लिए एक मास्टर पालिसी जारी करेगा जिसमें ये नियम व शर्तें जिनके अन्तर्गत लाभ दिए जायेंगे।

12. हिताधिकारी की नियुक्ति

सामूहिक बीमा की शुरूआत के समय प्रत्येक सदस्य निर्धारित प्रोफार्मा में अपने हिताधिकारी या हिताधिकारियों के रूप में अपने एक या एक से अधिक पत्नी अथवा बच्चे/बच्चा नियुक्त करेगा और इसे नियोक्ता के पास दर्ज कराएगा यदि सदस्य की पत्नी अथवा बच्चा/बच्चे या आश्रित नहीं है तो वह हिताधिकारी के रूप में अपना कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। सदस्य की मृत्यु के समय उससे संबंधित लाभ उसके द्वारा नियुक्त किए गए हिताधिकारी या हिताधिकारियों को अदा कर दिए जायेंगे।

13. स्कीम में संशोधन अथवा समाप्ति— नियोक्ता किसी भी समय सदस्य अथवा निगम को तीन महीने पहले नोटिस देकर सामूहिक बीमा को समाप्त कर सकता है तथा यह समाप्ति नोटिस की अवधि समाप्त होने वाले महीने की पहली तारीख अथवा उससे अगले महीने की पहली तारीख होगी।

देवेन्द्र कुमार जैन
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
Industrial & Export credit Department
Central office
Bombay-400023, Dated 16 December 1991

ANNEXURE-'B'

No. CC&MIS-615/87C-91/92—Errors detected in English Version of Notification No. IECD.3/87 (CP)-90/91 dated May, 30, 1991 published in Gazette of India, Part-III, Section 4 (No. 33) dated August 17, 1991

Sr. No.	Page No.	Para	Schedule	Error	Correction
1	2	3	4	5	6
1.	2718	1.1 2nd line	—	Submitted	Substituted
2.	2718	1.2 2nd line	—	15"	"15"

1	2	3	4	5	6
3.	2718	1.3 (iii) 1st line	—	including renewal)	(including renewal)
4.	2719	1 2nd	II	Company Paper	Commercial Paper
5.	2719	Last line	II	Authoriso signatory	Authorised signatory

Smt. S.D. PATANKAR
Dy. Chief Officer

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 26th December 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 54-EL(1)/15/91.—In pursuance of Regulation 123 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the names of members of the Institute of Chartered Accountants of India who have been declared elected to the fifteenth Council of the Institute are hereby published for general information :

Constituency comprising the States of Gujarat, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli

1. Shri Chhajed, Sohanraj Pukhrajji.
2. Shri Chitale, Mukund Manohar.
3. Shri Doshi, Gautam Bhailal.
4. Shri Iyer, Vaidheeswaran Natesan.
5. Shri Kale, Yashodhan Madhusudan.
6. Shri Sarda, Narendra Pansukhlal.
7. Shri Shah, Ashvinkumar Chandulal.
8. Shri Vikamsey, Shivji Kurverji

Constituency comprising the States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Lakshadweep Islands

1. Shri Koteswara Rao, S.S.R.
2. Shri Laxminiwas Sharma.
3. Shri Rao, B.P.
4. Shri Sitharaman, G.
5. Shri Sundararajan, Nallan Chakravarthy.
6. Shri Upadhyaya, P. P. Gururaja.

Constituency comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands

1. Shri Agrawal, Ram Krishna.
2. Shri Chakraborty, Amal Kumar.
3. Shri Chatterji, Dipankar.

Constituency comprising the States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan

1. Bhandari, Dr. Dharmendra.
2. Shri Birla, Chouth Mal.
3. Shri Gupta, Nripendra Kumar.

Constituency comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chadigarh

1. Shri Gupta, N.D.
2. Shri Mehta, Karna Singh.
3. Shri Vasudeva, Subhash Chander.
4. Shri Vishwanath, T.S.

No. 54-EL(1)/16/91.—In pursuance of Regulation 123 read with Regulation 134(10) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the names of the members of the Institute who have been elected to the various Regional Councils of the Institute :

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Gujarat, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli)

1. Shri Adukia, Rajkumar Satyanarayan
2. Shri Barve, Shashikant Vasudeo
3. Shri Bathiya, Shailesh Haridas
4. Shri Chandak, Ashok Kumar Kishan Gopalji
5. Shri Dangi, Lalit Kumar
6. Shri Dani, Anil Shankarrao
7. Mrs. Doshi, Bhavana Gautam
8. Shri Jain, Kailash Chand
9. Shri Jain,Vardhaman Laxmichand
10. Shri Joshri Pradeep Dinkar
11. Shri Kothare, Sunil Sudhakar
12. Shri Motiwala, Harish Narendra
13. Shri Shah, Ajitkumar Chandulal
14. Shri Shah, Dilipkumar Vadilal
15. Shri Shah, Rajesh Virendra
16. Shri Vyas, Satyendra Pramodray

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Lakshadweep Islands)

1. Shri Arjunaraj, A.
2. Shri Gadag, Omkar Virupaxappa
3. Shri Gopalkrishnan, P. S.
4. Shri Joseph, M. C.
5. Shri Krishnan, V.
6. Shri Muralikrishna, C.
7. Shri Nagarajan, R.
8. Shri Nityananda, N.
9. Mrs. Priya Bhansali
10. Shri Ravi, K.
11. Shri Ravindra Vikram, M.
12. Shri Subba Rao Garre

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.)

1. Shri Das Amarendra Nath
2. Shri Dokania, Gopal Prasad
3. Shri Gupta, Hari Ram
4. Shri Poddar, Karuna Sankar
5. Shri Roy, Rahul
6. Shri Sengupta, Tapan Kanti

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan.)

1. Shri Bhandari, Ramesh Chand
2. Shri Bhargava, S. K.
3. Shri Jain, Rajesh Kumar
4. Shri Jain, Vijay Kant
5. Shri Mehrotra, Avinash

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh.)

1. Shri Agrawal, M. K.
2. Shri Anil Peshawari
3. Shri Ashwajit Singh
4. Shri Batra, Amrit Lal
5. Shri Dhamija, Jagdish Prasad
6. Shri Dugar, Ramesh
7. Shri Gupta, Kailash Nath
8. Shri Gupta, Rattan
9. Shri Somani, Ashok Kumar

A. K. MAJUMDAR
Secretary

Kanpur-208001, the 20th November 1991

(CHARTERED ACCOUTANTS)

No. 3CCA (5) (7)/91-92— With reference to this Institute's Notification Nos. 3-CCA (4)/10/86-87 dt. 27-2-87, 3-ECA (4)/6/88-89 dt. 24-2-89, 3-CCA (4) (7)/90-91 dt. 30-11-90 & 3-CCA (4)/12/90-91 dt. 15-2-91, it is hereby notified in persuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations,1988 that in exercise of the powers conferred by Reg. 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the register of members, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names: —

S.No.	M.No.	Name & Address	Date
1.	11059	Mr. Jai Narain Goyal, FCA, C-162, Ranjeet Nagar, Opp. Jain Mandir, BHARATPUR-321001.	2-8-91
2.	12733	Mr. M.A. Krishnamurthy, FCA, Maurya Lok Complex, Block C, 3rd Floor, New Dak Bunglow Road, PATNA-800001.	17-9-91
3.	16426	Mr. Amit Kumar Pal, ACA, C.M.P.D.I. Ltd., Kanke Road, RANCHI.	18-9-91
4.	70775	Mr. Rajendra Prasad Parwal, FCA, C-39, Lajpet Marg, C-Scheme, JAIPUR.	23-9-91

The 26 November, 1991

No. 3-CCA (4) (41/91-92.—In persuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20 (1) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the register of members of this Institute on account of death, the name of following member with effect from the date mentioned against his name. :—

S.No.	M.No.	Name & Address	Date of Removal
1.	10973	Mr. Kailash Narain, Verma, Opposite Hindustan Aeronautics Ltd., Faizabad Road, LUCKNOW-226016.	8-10-91

A.K. MAJUMDAR,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 27th November 1991

No. N 15/13/6/2/91-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-11-91 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

"The areas within the revenue village of Vazhayur in Ernad Taluk of Malapuram District."

The 3rd December 1991

No. N-15/13/1/17/86-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-12-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas within the revenue village of Patighanapur under Patancheru Mandal in Medak Dist."

No. N-15/13/1/87-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-12-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas within the revenue village of Annaram, Dommadugu, Bonthapalli, Gummadidala, Chetlapotharam, Gaddapotharam, Kistayapalli, Geogilapur, Anantharam and Kanukunta in Jinnaram Mandal of Medak Dist."

No. N-15/13/1/1/89-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-12-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"Areas comprising revenue villages Veera Kaveri Rajupuram, Keelapattu, Nettam Kandriga, Nagari, T. R. Kandriga, S. R. N. Agraharam (Sri Ranga Nagar) Velavadi, 104 Agram, Gundurajukuppam, Sathrawada and Tarani in Nagari Revenue Madal in Chittoor District."

No. N-15/13/7/4/89-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insuranace Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulations 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-11-1991 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95—A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefits) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely:—

Name of the Revenue Village or Municipal limits	Hobli	Taluk	District
Kaminji—Village Puttur—T.M.C. Shanthigodu Aryappu	Puttur	Puttur	Dakshina Kannada
Bannur—Village Chikkamudnoor Village Codiambadi Mandala Kabakka	Uppinangadi	Puttur	Dakshina Kannada

The 11th December 1991

CORRIGENDA

No. N-12/13/1/90-P&D.—In the Employees' State Insurance Corporation Notification No. N-12/13/1/90-P&D dated 17th May, 1991 published in the Gazette of India No. 24 Part-III Section 4 dated 15-6-1991 on page 1954 to 1959, the following correction may be made :—

Page	Column	Line	For	Read
1958	1	11	Legal	illegal

The 13th December 1991

No. X-11/14/3/90-P&D.—The Employees' State Insurance Corporation vide notification No. X-11/14/2/89-P&D dated 6th November, 1989, published in the Gazette of India, Part-III. Section 4 of November 18, 1989 notified that the modification made in the eligibility conditions, duration and rates of benefits for the cashew workers by the said notification, shall be subject to review after a period of one year from the date of enforcement i.e. 1st October, 1989.

2. The Employees' State Insurance Corporation extended the period of review by another one year commencing w.e.f. 1-10-1990 vide its notification No. X-11/14/3/90-P&D dated 25 February, 1991 published in the Gazette of India Part-III Section 4 of 16 March, 1991.

3. The Employees' State Insurance Corporation again considered the matter at its meeting held on 8-10-1991 and extended the period of review by further two years commencing w.e.f. 1-10-1991.

S. GHOSH
Jt. Insurance Commissioner

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 13th December 1991

No. FPI(149)91/1995.—Whereas M/s. H. A. L. Hyderabad code No. AP/2675 has forwarded an application(s) in respect of its employee Sh. B. G. K. Murthy for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 171(I-C) of Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature Family Pension under the Goverment of India Pension Rules (C.C.S. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I-C) of section 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :—

1. These employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.

2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

3. The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt.I/1989.—WHEREAS M/s. Jagatjit Cotton Textiles Mills Limited, Unit Sri Ganga Nagar, Sri Ganga Nagar-335001 (RJ/20), have applied for exemption under sub. Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. S-35014/9/83-PF. II (SS. I) Dated 7-2-86 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 12-2-89 to 11-2-92 upto and inclusive of the 11-2-92.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately amdit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriatelv if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regioanal Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already

adopted by the said establishmetn, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benents to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 16th December 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1999.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme-1976, (herein after referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 Years as indicated in attached Schedule—I against their names.

SCHEDULE-I

REGION GUJARAT

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	The Ahmedabad Advance Mills Ltd. Out side Delhi Gate, Ahmedabad-380001.	GJ/336	2/1959/DLI/Exem./ 89/1185/Pt. I Dated 18-7-91.	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/3677/91-DLI
2.	Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., Post Chalthan, P. Code-394305 Distt. Surat, Gujarat	GJ/5335	2/1959/EDLI/89/ 1363/Pt. I Dated 16-8-91	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/3747/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regioanal Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/2005.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification Vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s F le No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s Gujarat Cine Enterprises(P) Ltd., 18-T, Vikram, Ashram Road, Ahmedabad.	GJ/2070	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I, 1185 dated 18-7-81	28-2-91	1-3-91 to 28-2-94	2/3600/91-DLI
2.	M/s. Jaipur Golden Transport Carriers, New Kolipitha, Jetia Mill Compound, Ahmedabad.	GJ/3375	S-35014(142)86-SS. II dated 31-3-86	30-3-89	1-4-89 to 30-3-92	2/485/81-DLI
3.	M/s. Span Diagnostics (P) Ltd., 173-B, New Industrial Estate, Road No. 6-G, Udyognagar, Udhna-394210 Distt. Surat.	GJ/5709	S-35014/101/88-SS. II dated 1-9-88	31-8-91	1-9-91 to 31-8-94	2/1796/88-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

The 17th December 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./2011.—WHEREAS M/s. Astra I.D.L Ltd., 32/1-2, Crescent Tower, Crescent Road, P.B. No. 5039, (Code No. KN/241) Bangalore, have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. notification No. S-35014/112/84/SS.IV dated 23-10-84 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisoins of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 23-10-87 to 22-10-90 and 23-10-90 to 22-10-93 upto and inclusive of the 22-10-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 31st October 1991

No. 26-10/89-PCI.—In exercise of the powers conferred by section 18 read with section 8 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating Group Saving Insurance for the Empolyees of the Pharmacy Council of India, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Pharmacy Council of India's Employees Group Savings Insurance Regulations 1991

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS : Unless the context otherwise requires,—

(a) "annual renewal date" means in relation to these regulations the 18th June 1991 and the 18th day of June in each subsequent year.

(b) "assurance" means the assurance to be effective on the life of the Member.

(c) "beneficiary" means in relation to a member, the person or persons who has, have been appointed by him in terms of these regulations to receive the benefits in the event of his death whilst being insured.

(d) "CORPORATION" means the Life Insurance Corporation of India;

(e) "EMPLOYER" means the Pharmacy Council of India;

(f) "entry date" means in relation to the members admitted to the group insurance on the date of commencement, the said date of commencement and (b) in relation to new members to be admitted to the group insurance after the commencement date, the annual renewal date which is coincident with or which immediately next follows on which they become eligible.

(g) "member" means the employee of the Employer who has been admitted to the benefits under the regulations;

(h) "terminal date" means in respect of each member, the annual renewal date which is coincident with or next following the date on which the member attains the age of normal retirement age or on cessation of service whichever is earlier. If the member is granted extension in service after the age of 58 and 60 years or Group A, B, C and D and Scientific and Technical personnel respectively, the terminal date shall mean the date of cessation of service, or the annual renewal date which is coincident with or next following the date on which the member completes the age of 60 or 62 years, whichever is earlier. It is further provided that since the superannuation age of Group 'D' and Scientific/Technical personnel 60 years, the group insurance shall operate for them also upto the age of 60 years.

(i) "running account" means the account to be maintained by the Corporation in favour of the Employee to which will be credited the premiums remaining in respect of the members after utilising such part as is required to provide life assurance benefits.

3. The Employer will act for and on behalf of the members in all matters relating to these regulations and every act done by, agreement made with and notice given to the Corporation shall be binding on the members.

4. ELIGIBILITY :

(1) Regular employees who are aged not less than 18 years and not more than 58 or 60 years as the case may be shall be eligible to join the group insurance.

(2) Present employees in the above category may joint the group insurance as from the date of commencement of these regulations.

(3) It shall be a condition of service that present employee who are not within the above category and all future employees must join the group insurance on the relevant Entry dates as soon as they satisfy the conditions of eligibility.

(4) No member shall withdraw from the group insurance while he is still an eligible employee satisfying the conditions of eligibility described above.

5. EVIDENCE OF AGE :

The Employer shall arrange to obtain satisfactory evidence of age in respect of each member at the time of his entry into the group insurance.

6. EVIDENCE OF HEALTH :

Evidence of insurability in the form and manner required by the Corporation will have to be submitted in respect of each member before he is admitted to the group insurance.

7. CONTRIBUTIONS :

(1) Every member shall pay a monthly contribution according to his category at the rate as indicated below :—

Category	Monthly Contribution
A, B	30 rupees
C, D	15 rupees

The contribution shall commence on the entry date and continue until the terminal date or otherwise as sepcified in the Regulations.

(2) The Employer shall recover the contribution in respect of all the members from their salaries and remit the same in full on the due date i.e. 18 of each month to the Corporation for providing benefits in accordance with the regulations.

(3) A part of the contribution as may be fixed by the corporation at an interval of 3 years expressed as a uniform average amount per member determine on the basis of the age distribution of all the members, shall be utilised to provide for each member life assurance benefit as mentioned in regulation 8. The life assurance benefit will become payable upon the death of the member whilst being insured under the regulations. For this purpose, the Employer shall effect assurance under the one year renewable term assurance plan with the Corporation. The balance of the contribution shall be credited to a running account to be maintained by the Corporation in favour of the Employer for providing the benefits described in regulation 8 to the members. The Corporation shall allow interest on the balance in the running account at the agreed rate.

8. BENEFITS :

(1) *On death of the member before the terminal date* :

The life assurance benefit categorywise i.e. Group A, B, C, and D : Rs. 30,000/-, Rs. 30,000/-, Rs. 15,000/- and Rs. 15,000/- respectively together with the amount to the credit of the member in the running account as on the date of his death as determined in the manner referred to in regulations (2) shall become payable to the beneficiary.

(2) *On reaching terminal date of or earlier cessation of service other than death* :

The total amount to the credit of the member in the running account as shall be determined by the Corporation having regard to the entry date, the amounts credited to the running account from time-to-time, the rate of interest and the date of exist shall become payable to the member.

8A. Revision in life assurance benefits

The amount of life assurance benefit in respect of each member due to change in category, shall be revised only on the "annual renewal date" immediately next following the change of category.

9. TERMINATION OF MEMBERSHIP :

(1) The membership of the group insurance in respect of member shall terminate upon the happening of any of the following events :—

(a) Member ceasing to be in the service of the Employer.

(b) Member reaching the terminal date.

(2) Upon termination of membership, the life assurance benefit of the member shall cease forthwith and the amount at his credit in the running account as determined in regulation 8(2) shall become payable.

10. RESTRAIN ON ANTICIPATION OR ENCUMBERANCE.

The benefits under the group insurance are strictly personal and cannot be assigned, charged or elienated in any way.

11. MASTER POLICY

The Corporation shall issue a Master Policy to the Employer incorporating the terms and conditions under which the benefits are assured.

12. APPOINTMENT OF BENEFICIARY :

Every member shall at the time of entry into the group insurance appoint one or more of his wife or Child/ Children or dependents to be his beneficiary or beneficiaries in the prescribed proforma and file it with Employer. If a member does not have a wife or child/children or dependents then he shall appoint his legal representative to be the beneficiary. In the event of death of the member, the benefits in respect of him will be paid to the beneficiary or beneficiaries appointed by him.

13 AMENDMENT OR DISCONTINUANCE OF SCHEME :

The Employer may discontinue the group insurance at any time subject to 3 months previous notice being given to the members and the Corporation and the discontinuance shall be effective from the 1st of the month co-incident with or following the expiry of the notice period.

DEVENDER KUMAR JAIN
Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992